कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश

पर्यावास भवन पंचम तल खण्ड (अ) भोपाल
ई-मेल-dtamp.bpl@mp.gov.in

पत्र.क्रमांक/राज.शा./पदनाम/2023/138 भोपाल, दिनांक 26/06/2023

प्रति,

अवर सचिव (स्थापना),
मध्यप्रदेश शासन,
वित्त विभाग, मंत्रालय,
भोपाल

विषय:- मध्यप्रदेश राज्य वित्त सेवा के पदनाम परिवर्तन के संबंध में।

संदर्भ:- 1. आपका पत्र क्रमांक 1080/1132785/2023/ई/चार भोपाल दिनांक 04/05/2023
2. इस कार्यालय का पत्र दिनांक 1419 दिनांक 08/03/2002
3. इस कार्यालय की एकल नस्ती क0 1417 दिनांक 17/10/2012
4. इस कार्यालय की एकल नस्ती क0 1089 दिनांक 13/10/2015
5. इस कार्यालय की एकल नस्ती क0 672 दिनांक 29/06/2016

---00---

कृपया अपरोक्त संदर्भित पत्रों एवं संलग्न माननीय वित्त मंत्री जी से प्राप्त एकल नस्ती एवं इस विभाग से प्रेषित संदर्भित एकल नस्तियों का अवलोकन हो। मध्यप्रदेश वित्त सेवा संवर्ग में संचालक, अपर संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक एवं सहायक संचालक के पद स्वीकृत है।

संचालनालय स्तर से पदनाम परिवर्तन करने हेतु समय पर निम्नानुसार प्रस्ताव अनुसंशा सहित प्रेषित किये गये है-

- तत्कालीन आयुक्त कोष एवं लेखा श्री जी पी सिंघल द्वारा वित्त विभाग को अपने पत्र क्र 1419 दिनांक 08/03/2002 द्वारा वित्त विभाग को भेजा गया,
- तत्पश्चात् तत्कालीन आयुक्त कोष एवं लेखा श्री टी० धर्माराव द्वारा अपनी एकल नस्ती क0 1417 दिनांक 17/10/2012 द्वारा प्रस्ताव वित्त विभाग भेजा गया।
- इसके पश्चात विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सह आयुक्त कोष एवं लेखा श्री आशीष उपाध्याय द्वारा एकल नस्ती क0 1089 दिनांक 13/10/2015 द्वारा पुनः वित्त सेवा अधिकारियों के पदनाम परिवर्तन का प्रस्ताव वित्त विभाग भेजा गया। वित्त विभाग द्वारा पृच्छा किये जाने पर प्रस्ताव के साथ औचित्य टीप भी वित्त विभाग को प्रेषित की गई।
- तत्पश्चात् तत्कालीन आयुक्त कोष एवं लेखा श्री सुखबीर सिंह द्वारा अपनी एकल नस्ती क0 672 दिनांक 29/06/2016 द्वारा पुनः वित्त सेवा अधिकारियों के पदनाम परिवर्तन का प्रस्ताव वित्त विभाग भेजा गया।

अतः पूर्व में प्रेषित की गई अनुसंशा सहित पदनाम परिवर्तन हेतु प्रस्ताव आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

(आयुक्त द्वारा आदेशित)

अपर संचालक
कोष एवं लेखा

CamScanner

टीप

म.प्र. शासन वित्त विभाग के संदर्भित पत्र में संलग्न माननीय मंत्रीजी वित्त के प्रस्ताव अनुसार मप्र **वित्त सेवा के पदनाम निम्नानुसार परिवर्तन किया जाना है-**

क्र.	**मध्यप्रदेश वित्त सेवा संवर्ग अंतर्गत स्वीकृत पदनाम**	**माननीय वित्त मंत्री जी से प्राप्त एकल नस्ती मध्यप्रदेश वित्त सेवा संवर्ग में किये जाने वाला पदनाम परिवर्तन**
1	संचालक	अपर सचिव सह वित्तीय सलाहकार
2	अपर संचालक	अपर आयुक्त (वित्त)
3	संयुक्त संचालक	संयुक्त आयुक्त (वित्त)
4	उप संचालक	उप आयुक्त (वित्त)
5	सहायक संचालक	सहायक आयुक्त (वित्त)

कृपया आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित।

914/2023/DTA(IN-OUT)

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
<u>मंत्रालय</u>

क्रमांक 1080/1132785/2023/ई/चार, भोपाल, दिनांक 04/05/2023

प्रति,

आयुक्त
कोष एवं लेखा
मध्यप्रदेश,भोपाल।

विषयः- राज्य वित्त सेवा अधिकारियों के पदनाम परिवर्तन करने के संबंध में।

---0---

उपरोक्त विषयक विभाग की नस्ती क्रमांक 1044284/2022/ई/चार आपके अभिमत हेतु जावक क्रमांक 133/1044284/2022/ई/चार, दिनांक 24.1.2023 को प्रेषित की गई है जो आज दिनांक तक अप्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि वांछित नस्ती आवश्यक कार्यवाही/अभिमत उपरांत इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। माननीय मंत्रीजी से भी कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए है। प्राप्त टीप की प्रति संलग्न है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

(विनय कठाने)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग

SO(4)
08/05/23

K-1132785/2023/E/04
09/02/2023

छब्बीस-२ सचिवालय

का विभाग

3441/ACS/fin
25/01/2023

जा.क्र. 335 मंत्री/वि.वा.पो.आस./2023
दिनांक 25/01/23

विषयः विषयः– राज्य वित्त सेवा अधिकारियों के पद नाम परिवर्तन करने के संबंध में।

–0–

म.प्र वित्त सेवा अधिकारी संघ के पत्र क्रमांक–71 दिनांक 20.01.2023 द्वारा BCO&DDO कार्यालयों में पदस्थ वित्त सेवा अधिकारियों का पद नाम, एक समान करने का अनुरोध किया है।

पद परिवर्तन के प्रस्ताव संचालनालय कोष एवं लेखा में पदस्थ पूर्व आयुक्तों द्वारा अनुशंसा सहित वित्त विभाग को भेजा गया था। पद नाम परिवर्तन में कोई वित्तीय भार नहीं आ रहा है तथा यह प्रशासनिक विभाग का मुद्दा है।

मैं चाहूँगा, बजट सत्र के पूर्व, सभी BCO&DDO कार्यालयों में पदस्थ वित्त सेवा अधिकारियों के पद नामों को एकरूप करते हुए, क्रमशः सहायक आयुक्त वित्त,उपायुक्त वित्त, संयुक्त आयुक्त वित्त, अपर आयुक्त वित्त तथा अपर सचिव सह वित्तीय सलाहकार करने संबंधी आदेश जारी करने की कार्यवाही की जाए।

(जगदीश देवड़ा)
वित्त मंत्री,
म.प्र शासन

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग

S(AK)

DS(E)

US

श्रीमती मिश्रा

30/01

25/1

941/2023/DTA(G-ESTB)

A /3

संचालनालय कोष एवं लेखा
मध्यप्रदेश

क्र 1419 दि. 8/3/..

प्रति,

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वित्त विभाग
मंत्रालय भोपाल ।

विषय:- राज्य वित्त सेवा के अधिकारियों का पदनाम परिवर्तित करने के संबंध में ।
संदर्भ:- म0प्र0वित्त तथा लेखा सेवा अधिकारी संघ का पत्र क्रमांक 126 दिनांक ...

--

राज्य वित्त एवं लेखा सेवा का नाम परिवर्तित कर राज्य वित्त सेवा किये जाने के फलस्वरूप,विभागीय अधिकारियों के पदनाम परिवर्तित करने हेतु म0प्र0वित्त तथा लेखा सेवा अधिकारी संघ द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन संलग्न है । वर्तमान में संचालनालय कोष एवं लेखा के अधीन अपर संचालक,संयुक्त संचालक,उप संचालक एवं सहायक संचालक के पद स्वीकृत है । वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 3.10.2000 द्वारा संचालक कोष एवं लेखा का पदनाम परिवर्तित कर आयुक्त कोष एवं लेखा कर दिया गया है । अतः प्रशासनिक दृष्टिकोण से आयुक्त के अधीन कार्यरत अधीनस्थ अधिकारियों का पदनाम भी क्रमशः अपर आयुक्त (अपर संचालक के समकक्ष) संयुक्त आयुक्त(संयुक्त संचालक के समकक्ष), उप आयुक्त (उप संचालक के समकक्ष) तथा सहायक आयुक्त (सहायक संचालक के समकक्ष)परिवर्तित किया जाना औचित्य पूर्ण प्रतीत होता है ।

2- संघ द्वारा आबकारी ,वाणिज्यकर एवं आदिम जाति कल्याण विभाग में प्रशासनिक व्यवस्था के तहत ही पदनाम नियत होने का उल्लेख किया गया है। म0प्र0वित्त एवं लेखा सेवा अधिकारियों द्वारा राज्य के आय-व्यय का संपूर्ण लेखा संधारित किये जाने के साथ-साथ विभिन्न विभागों में वित्त एवं लेखा संबंधी लागू प्रक्रिया का संचालन किया जाता है । इस परिपेक्ष्य में संघ द्वारा पदनाम परिवर्तित किये जाने संबंधी प्रस्ताव से संचालनालय सहमत है । आगामी कार्यवाही शासन स्तर से की जाना प्रस्तावित है ।

आयुक्त

CamScanner

941/2023/DTA(G-ESTB)

विषयः- वित्त सेवा अधिकारियों की पदनाम में परिवर्तन।

वित्त सेवा अधिकारियों द्वारा समय-समय पर पदनाम परिवर्तन करने पर प्रस्ताव दिया जाता है। इस संबंध में संचालनालय स्तर पर छानबीन करने पर ज्ञात हुआ है कि संचालनालय स्तर से पदनाम परिवर्तन करने का प्रस्ताव पत्र क्रमांक 1419 दिनांक 08.03.2002 द्वारा तत्कालीन आयुक्त कोष एवं लेखा, श्री जी. पी. सिंघल द्वारा वित्त विभाग को भेजा गया था।(छायाप्रति संलग्न)

संचालनालय कोष एवं लेखा के अंतर्गत अपर संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक एवं सहायक संचालक कार्यरत है। वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 03.10.2000 द्वारा संचालक कोष एवं लेखा का पदनाम परिवर्तित कर आयुक्त, कोष एवं लेखा कर दिया गया है। अतः प्रशासनिक दृष्टिकोण से आयुक्त के अधीन कार्यरत अधिकारियों का नाम अपर आयुक्त, संयुक्त आयुक्त, उप आयुक्त एवं सहायक आयुक्त किया जाना औचित्यपूर्ण प्र.ात होता है। अन्य विभागों में पदस्थ वित्त सेवा अधिकारी भी राज्य के आय में संपूर्ण लेखा संधारित करते है अतः विभागों में पदस्थ वित्त सेवा अधिकारियों को भी उपरोक्तानुसार पदनाम दिया जाना प्रस्तावित है।

पदनाम परिवर्तन में किसी भी तरह का व्यय भार नही आयेगा यह पूर्णतः प्रशासनिक मुद्दा है पदनाम परिवर्तन ~~परिवर्तन~~ करने के लिए प्रशासकीय आदेश जारी किया जाना उचित होगा।

प्रस्ताव पर माननीय मंत्रीजी का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित है।

प्रमुख सचिव
वित्त विभाग

आयुक्त
कोष एवं लेखा

क्र. 1417 सी.टी.ए.पी.ए./
जावक दिनांक ....
जावक दिनांक 17.X.2012

MDN

विषय :— :- विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पदस्थ वित्त सेवा अधिकारियों के पदनाम में परिवर्तन करने बाबत।

वित्त सेवा अधिकारियों द्वारा समय-समय पर पदनाम परिवर्तित करने का सुझाव दिया जाता रहा है इस संबंध में संचालनालय स्तर पर छानबीन करने पर ज्ञात हुआ कि संचालनालय स्तर से पदनाम परिवर्तन करने का प्रस्ताव तत्कालीन आयुक्त कोष एवं लेखा श्री जी0पी0सिंघल द्वारा अपने पत्र क0 1419 दि0 8-3-2002 द्वारा वित्त विभाग भेजा गया था(ध्वज-ए अवलोकनार्थ)। तत्पश्चात तत्कालीन आयुक्त कोष एवं लेखा श्री टी0 धर्माराव द्वारा अपनी एकल नस्ती क0 1417 दिनांक 17-2-2012 द्वारा पुनः वित्त सेवा अधिकारियों के पदनाम परिवर्तन का प्रस्ताव वित्त विभाग भेजा गया। (ध्वज-बी अवलोकनार्थ)। वित्त विभाग द्वारा इन प्रस्तावों को फिलहाल स्थगित करते हुये नस्तीबद्व कर दिया गया था।

वित्त सेवा अधिकारी विभिन्न विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पदस्थ रहते हैं विभागाध्यक्ष कार्यालयों में इनके नाम पृथक-पृथक होने से भ्रम की स्थिति बनी रहती है। कुछ विभागाध्यक्ष कार्यालयों में तो 3600 तथा 4200 ग्रेड पे के विभागीय अधिकारियों को भी लेखाधिकारी पदनाम दे दिया गया है जिससे वित्त सेवा के 5400 ग्रेड पे के लेखाधिकारियों के मन में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। यही स्थिति अन्य ग्रेड-पे के अधिकारियों के साथ भी हो रही है।

अतः वर्तमान में वित्त विभाग के अधीन विभागाध्यक्ष कार्यालयों के साथ-साथ अन्य समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पदस्थ वित्त सेवा अधिकारियों का एक समान पदनाम किया जाना पुनः प्रस्तावित है।

अतः वित्त सेवा अधिकारियों के पदनाम परिवर्तन करने का औचित्य परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। अतः वित्त सेवा अधिकारियों के पदनाम एकरूप करते हुये निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है:-

कमांक	ग्रेड-पे	नवीन पदनाम
1	5400	सहायक वित्तीय आयुक्त
2	6600	उप वित्तीय आयुक्त
3	7600	संयुक्त वित्तीय आयुक्त
4	8700	अतिरिक्त वित्तीय आयुक्त
5	8900	संचालक/वित्तीय सलाहकार

उपरोक्तानुसार पदनाम संशोधन के लिये मान0 मंत्रीजी से प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

अनुमोदनार्थ।

12.10.2011

(आशीष उपाध्याय)
प्रमुख सचिव वित्त एवं
वि0क0अधि0-सह आयुक्त

अपर मुख्य सचिव (वित्त)

कृ/क्रा./क्रि/ राजपत्रित/DTA/2015/1089
दिनांक- 13/10/2015

औचित्य टीप

परिशिष्ट-'अ'

1- प्रशासनिक दृष्टिकोण से सभी विभागाध्यक्ष का पदनाम आयुक्त हो गया है। अतः उनके अधीन वित्तीय कार्य करने वाले वित्त सेवा अधिकारी का नाम भी समरूप रखा जाना उचित है।

2- अन्य विभागों में जैसे- आदिम जाति कल्याण, पंचायत ग्रामीण विकास, सहकारिता में प्रशासनिक व्यवस्था के तहत् पदनाम परिवर्तित कर दिये गये हैं, उसी तरह वित्त सेवा अधिकारियों के पदनाम भी परिवर्तित करना आवश्यक है।

3- संचालनालय कोष एवं लेखा के अंतर्गत वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 3-10-2000 द्वारा संचालक कोष एवं लेखा का पदनाम परिवर्तित कर आयुक्त कोष एवं लेखा कर दिया गया है। अतः अधीनस्थ अधिकारियों के पदनाम भी परिवर्तित कर दिये जाने भी औचित्यपूर्ण है।

4- पदनाम परिवर्तित करने की अनुशंसा संचालनालय में पदस्थ पूर्व आयुक्तों द्वारा ही की जाती ही है।

5- संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा पदनाम परिवर्तन का प्रस्ताव प्रमुख सचिव वित्त को एकल नस्ती के माध्यम से दिनांक 17-10-2012 को भेजा गया है।

6- पदनाम परिवर्तन करने में किसी प्रकार का व्ययभार नहीं आएगा।

7- अन्य विभागों मेंसहायक/उप/संयुक्त/संयुक्त/अतिरिक्त/वित्तीय आयुक्त पदनाम करने में पद की पृथक पहचान बनी रहेगी।

8- संचालनालय सहित सभी विभागाध्यक्ष कार्यालयों में वित्त सेवा के एकसमान पदनाम हो जायेंगे। वर्तमान में अलग-अलग पदनाम स्वीकृत है जैसे:- उप संचालक का पदनाम कुछ विभागों में वित्त अधिकारी, कुछ में वरिष्ठ/मुख्य लेखाधिकारी, कुछ में उप संचालक, (वित्त) कुछ में उपायुक्त,(वित्त) कुछ में उप नियंत्रक,(वित्त) तथा कुछ विभागाध्यक्ष कार्यालयों में उप संचालक वित्तीय सलाहकार/वित्तीय सलाहकार है।

9- वित्त सेवा अधिकारी विभागाध्यक्ष कार्यालय में पदस्थ रहते है तथा उस विभाग के आय एवं व्यय दोनों का वित्तीय नियंत्रण एवं प्रबंधन एव ऑडिट करते है इस दृष्टि से सहायक/उप/संयुक्त/अतिरिक्त/वित्तीय आयुक्त रखा जाना उपयुक्त है।

10- पदनाम परिवर्तन करने में संचालनालय/अधिनस्थ कार्यालय/वित्त सेवा अधिकारियों की कोई आपत्ति नहीं हुई है एवं समय-समय पर वित्त सेवा अधिकारियों के संघ द्वारा पदनाम परिवर्तन करने की मांग की जाती रही है।

(D) [redacted] (13)

छब्बीसा-२ सचिवालय

का विभाग

विषय: विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पदस्थ वित्त सेवा अधिकारियों के पदनाम में परिवर्तन करने बाबत्।

---00---

पूर्व पृष्ठ से:-

नोट-शीट पृष्ट कमांक-11 पर अंकित टीप का अवलोकन करने का कष्ट करें, इस संबंध में संचालनालय कोष एवं लेखा का मत नियमानुसार है:-

1. पदनाम परिवर्तन का प्रस्ताव पिछले 13 वर्षो से लंबित है। सर्वप्रथम पदनाम परिवर्तन का प्रस्ताव तत्कालीन आयुक्त श्री जी0पी0 सिंघल द्वारा भेजा गया था।(ध्वज-ए अवलोकनार्थ) तत्कालीन समय भी इस प्रकरण को छठवें वेतनमान(01.01.2006) लागू होने तक स्थगित गया था।
2. तत्पश्चात् तत्कालीन आयुक्त स्व: श्री टी0धर्माराव द्वारा भी इस प्रकरण को 04 वर्ष पूर्व पुन: अनुशंसा सहित भेजा गया था। (ध्वज-बी अवलोकनार्थ) तब से यह प्रकरण वित्त विभाग में लंबित है।
3. वित्त विभाग द्वारा इस प्रकरण पर पूर्व आयुक्त कोष एवं लेखा के पदस्थापना के दौरांन औचित्य टीप मांगी गयी थी। संचालनालय द्वारा औचित्य टीप भी वित्त विभाग को उपलब्ध करा दी गयी। (ध्वज-सी अवलोकनार्थ)
4. पदनाम परिवर्तन से कोई वित्तीय भार नहीं आ रहा है तथा सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट की समरी (ध्वज-द) पर अवलोकनार्थ संलग्न है। वेतन आयोग द्वारा किंसी भी संवर्ग के पदनाम परिवर्तन के संबंध में कोई भी बिन्दु नहीं उठाया गया है।

इस संबंध में संचालनालय का विनम्र अनुरोध है कि इस प्रकरण को अब और अधिक समय तक लंबित रखना उचित नहीं है। अत: कृपया प्रस्ताव पर पुर्नविचार करते हुये प्रशासकीय अनुमोदन के संबंध में निर्णय लेने का कष्ट करें।

(हस्ताक्षर) 24/02/16.

आयुक्त,
कोष एवं लेखा

अपर मुख्य सचिव
वित्त विभाग मंत्रालय

(5)

कृ.ज्ञा./वि.क./राजपत्रित/DTA/2016/672
दिनांक - 29/06/2016

458/2023/DTA(O/o J.Dir)

मध्य प्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल–462 004

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22/06/2017

क्रमांक एफ ए 3–13/2017/1/पांच (24)

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों के वर्ग को 22 जून, 2017 से उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के क्रियान्वयन के लिये नियुक्त करती है :

सारणी

अनुक्रमांक	अधिकारियों का वर्ग
(1)	(2)
1.	राज्य कर आयुक्त
2.	राज्य कर विशेष आयुक्त
3.	राज्य कर अपर आयुक्त
4.	राज्य कर संयुक्त आयुक्त
5.	राज्य कर उपायुक्त
6.	राज्य कर सहायक आयुक्त
7.	राज्य कर अधिकारी
8.	राज्य कर निरीक्षक
9.	कराधान सहायक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.डी. रिछारिया)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग

CamScanner